

15

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रं./शि.क./संवि./ई/101/2012/355

भोपाल, दिनांक

दि. 12-6-12

:: आदेश ::

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-49/2008/20-1 दिनांक 26.04.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग एवं पारस्परिक आधार पर अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के स्वैच्छा से अन्तर्जिला संविलियन तालिका के कालम-5 तथा तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान, तथा वेतनमान वं. रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यक्षीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्रं.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण			कार्यरत एवं संविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा जारी की गई अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का जावक क्रमांक एवं दिनांक		संविलियन संस्था/ जिले का डाईस कोड
	नाम पद एवं कार्यरत संस्था	यूनिक आइ.डी. क्रमांक	संस्था/ जिले का डाईस कोड	वर्तमान में कार्यरत निकाय	निकाय का नाम जिसमें संविलियन की अनुमति दी गई है	
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री मदन गोपाल नेमा (निःशक्त) अध्यापक (गणित) शा. नवीन मा.शा. खैजराखुर्द हटा जिला दमोह	AH9055	231204097 02	जिला पंचायत दमोह जा.क्रं. 2358 दि. 10.08.2012	आयुक्त नगर निगम जबलपुर जा.क्रं.75दि. 05.07.11 शा. हाईस्कूल बालक गोकलपुर जबलपुर	233901666 16
2	श्रीमती आशा ठाकुर सहायक अध्यापक शा.उन्नत प्रा.शा. गरुपुरा जिला दमोह	AI2649	231203108 05	जनपद पंचायत दमोह जा.क्रं. 2943 दिनांक 12.01.2012	जनपद पंचायत लालवर्वा जिला बालाघाट जा.क्रं.2047दि.17.04.12 शा.प्रा.शाला सुरजाटोला	234506113 01
3	श्रीमती प्रतिभा सिंह अध्यापक (कला) शा.मा.शाला बकेली जिला अनूपपुर	BO3895	234706117 02	जिला पंचायत अनूपपुर जा.क्रं. 7127-28 दि. 31.12.2011	जिला पंचायत रीवा जा.क्रं. 54 दि.05.04.12 शा. हाईस्कूल कचूर रीवा	231401666 24
4	श्रीमती रीना अग्रवाल अध्यापक (गणित) शा.हाईस्कूल खमरिया मौजीलाल जिला दमोह	AH9526	231206666 03	जिला पंचायत दमोह जा.क्रं. 146 दि. 31 03 2012	नगर पालिक निगम बुरहानपुर जा.क्रं.616दि 31 03 12 शा.हाईस्कूल कन्या चौक	



5	श्री अजय कुमार जाटव, सहायक अध्यापक, शिक्षा गारंटी शाला बरदयाऊ जिला छतरपुर	AG3560	230908222 01	जनपद पंचायत राजनगर जिला छतरपुर जा.क्रं.3972दि.27.03.12.	जनपद पंचायत पोरसा जिला मुरैना जा.क्रं.10733दि 17.04.12 शा.प्रा.वि. साहस का पुरा मुरैना	230201038 02
6	श्री गजाधर प्रसाद कंवर सहायक अध्यापक, शा0प्र0वि0 साहस क पुरा, जिला मुरैना	AR6168	230201038 02	जनपद पंचायत पोरसा जिला मुरैना जा.क्रं. 10733-34 दि. 17.04.2012	जनपद पंचायत राजनगर जिला छतरपुर जा.क्रं.3972दि.27.03.12 शिक्षा गारंटी प्राथमिक शाला बरदयाऊ	230908222 01
7	श्रीमती सुधा गोस्वामी सहायक अध्यापक शास.मा.शा.बरौदिया नौनगर वि.ख.खुरई जिला सागर	AX7038	231105001 02	जनपद पंचायत खुरई जिला सागर जा.क्रं. 437 दि. 28.04.2012	जनपद पंचायत हटा जिला दमोह जा.क्रं. 429-30 दि. 15.05.2012 शा.मा.शाला हिनौता कलों दमोह	231204054 04
8	श्रीमती अंजू चौरसिया सहायक अध्यापक शा.ई.जी.एस. मुजरा धामना जिला टीकमगढ़	BD1762	230802084 04	जनपद पंचायत जतारा जिला टीकमगढ़ जा.क्रं. 146 दि. 21.05.2012	नगर पालिका परिषद् चौरई जिला छिन्दवाड़ा जा.क्रं. 100/5 दि. 10.05.2012 शा.वा.प्रा.शाला चौरई	234311160 01
9	श्री कृष्ण प्रताप सिंह छत्राणी, सहायक अध्यापक, शा.प्रा.शाला बन्न जिला छतरपुर	AF6544	230901098 01	जनपद पंचायत बड़ामलहरा जिला छतरपुर जा.क्रं. 320 दि. 21.05.2012	जनपद पंचायत गुनौर जिला पन्ना जा.क्रं.229 दि.04.05.12 शा.प्रा.शाला जमराय जिला पन्ना	231002137 02
10	श्री मिर्जा माजिद बेन सहायक अध्यापक शा.प्रा.शाला जमराय जिला पन्ना	BK1709	231002137 02	जनपद पंचायत गुनौर जिला पन्ना जा.क्रं. 229 दि. 04.05.2012	जनपद पंचायत बड़ामलहरा जिला छतरपुर जा.क्रं. 320 दि. 21.05.2012 शा.प्रा.शाला बन्न	230901098 01
11	श्रीमती संगीता साहू सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. जतारा जिला टीकमगढ़	BD2048	230802203 02	नगर पालिका परिषद् जतारा जिला टीकमगढ़ जा.क्रं. क्यू-1 दि. 02.03.2012	जनपद पंचायत रीवा जिला रीवा जा.क्रं. 151 दि. 08.05.2012 शा.प्रा.शाला कराहिया नं. 1 रीवा	231401140 07
12	श्री महेन्द्र प्रसाद मिश्रा (नि:शक्त) सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. टिकठी जिला शहडोल	BI3028	231603106 03	जनपद पंचायत बुढार जिला शहडोल जा.क्रं. 442 दि. 14.02.2012	जनपद पंचायत मऊगंज जिला रीवा जा.क्रं. 47 दि.16.01.12 शा.प्रा.विद्यालय वरा रीवा	231403118 01

13	श्रीमती शशि देवी पिछोडे अध्यापक (विज्ञान) शा.उ.मा.वि. कनाडी खुर्द, जयसिंह नगर जिला शहडोल	BP1569	231605999 09	जिला पंचायत शहडोल जा.क्र. 2734 दि. 30.04.2012	जिला पंचायत बालाघाट जिला बालाघाट जा.क्र.3101दि.05.05.12 शा.उत्कृष्ट विद्यालय किरनापुर बालाघाट	234502777 01
14	श्रीमती रीना पचौरी अध्यापक (सा. विज्ञान) शा. पं.के.सी.शर्मा उमावि खुरई जिला सागर	AY4189	231107777 09	नगर पालिका परिषद् खुरई सागर जा.क्र. 35 दि. 23.11.2010	जिला पंचायत ग्वालियर जिला ग्वालियर जा.क्र.7130दि.10.08.11 शा. मा.वि. साँतउ घाटीगाँव ग्वालियर	

संविलियन की 'शर्तें :-



1. यह अनुमति तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जायेगा।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यरत निकाय से कार्यमुक्त हो सकेंगे।
4. तालिका के कालम-6 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-5 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। पदांकन आदेश जारी नहीं होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत हैं तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से पुष्टि उपरांत ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-6 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी।
7. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबन्ध में रवीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने एवं संविदा शाला शिक्षक की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन मान्य किया जावे।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्ति संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2001 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अधीन की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी।
11. तालिका के कालम-5 एवं 6 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जाबक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा।

“ आयुक्त द्वारा अनुमोदित”

A2
सहायक संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
Pr...

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मा. मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. संबंधित कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित आयुक्त, नगर निगम मध्यप्रदेश।
6. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
7. संबंधित जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की भेजकर लेख है कि आपके जनपद से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
8. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
10. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. संबंधित की ओर सूचनार्थ।


सहायक संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश




लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रं./शिक./सवि./बी/11/2012/359

भोपाल, दिनांक 12-6-12

:: आदेश ::

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-49/2008/20-1 दिनांक 26.04.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग एवं पारस्परिक आधार पर अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के स्वैच्छा से अन्तर्जिला संविलियन तालिका के कालम-5 तथा तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यापक संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्रं.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण			कार्यरत एवं संविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा जारी की गई अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का जावक क्रमांक एवं दिनांक		संविलियन संस्था / जिले का डाईस कोड
	नाम पद एवं कार्यरत संस्था	यूनिक आइ.डी. क्रमांक	संस्था / जिले का डाईस कोड	वर्तमान में कार्यरत निकाय	निकाय का नाम जिसमें संविलियन की अनुमति दी गई है	
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती ऋतु चौरसिया अध्यापक (सा.विज्ञान) शा.मा.शा. भगवानपुरा जिला सीहोर	--	233301236 02	जिला पंचायत सीहोर जिला सीहोर जा.क्र.5943दि. 12.10.10	जिला पंचायत होंशगाबाद जिला होंशगाबाद जा.क्र.6975दि. 15.07.11 शा.मा.वि. लांघा बम्होरी	233705176 02
2	श्रीमती गुलाब तोमर अध्यापक शा.मा.शा. झोलियापुर जिला सीहोर	AA5774	233302047 02	जिला पंचायत सीहोर जिला सीहोर जा.क्र.1733दि. 08.06.10	जिला पंचायत भोपाल जिला भोपाल जा.क्र.3408दि. 02.08.11 शा.मा.शा. कोंछी बरखेड़ा	233202158 03
3	श्रीमती नोशीन जहाँ अध्यापक (कला) शा.मा.शा. कोकटा जिला भोपाल	AA8178	233203050 23	नगर पालिक निगम भोपाल जिला भोपाल जा.क्र. 87 दि. 50.06.11	नगरपालिका परिषद आष्टा जिला सीहोर जा.क्र.252 दि. 31.05.11 शा.मा.शा. नजरगंज	233301279 44
4	श्रीमती ज्योति पाल सहायक अध्यापक शा.मा.शा. थुआ जिला होंशगाबाद	AO1861	232901086 01	जनपद पंचायत सिवनी मालवा जिला होंशगाबाद जा.क्र.190 दि. 29.04.11	जनपद पंचायत नसरुल्लगंज जिला सीहोर जा.क्र.267 दि. 29.03.11 शा.क.प्रा.शा. लाडकुई	233304067 07
5	श्रीमती गुलाब यादव सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. सेमरुढ़ रैयत जिला खण्डवा	AO1861	232901086 01	जनपद पंचायत बलडी (किल्लौद) जिला खण्डवा जा.क्र.388 दि. 16.03.11	नगरपालिका परिषद सिवनी मालवा जिला होंशगाबाद जा.क्र.1078दि. 16.11.11 शा.प्रा.शा. सिवनी मालवा	233707100 35



6	श्री सत्यनारायण त्रिपाठी (निःशक्त) सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. चाचमऊ जिला सीहोर	AA6967	233302085 01	जनपद पंचायत बुदनी जिला सीहोर जा.क्र.1707दि. 04.06.11	जनपद पंचायत रीवा जिला रीवा जा.क्र.2348दि. 14.06.11 शा.प्रा.शा. छिरेहटा	231401059 01
7	श्रीमती सुशीला राजपूत सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. धनगौर कला जिला दमोह	AI1966	231205085 01	जनपद पंचायत तेंदूखेड़ा जिला दमोह जा.क्र.1077दि. 09.05.11	जनपद पंचायत करेली जिला नरसिंहपुर जा.क्र.542 दि. 29.04.11 शा.प्रा.शा. बन्हौरी	234004112 01
8	श्रीमती अंजना तिवारी (दुबे) सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. पिड़रई (पॉजी) जिला दमोह	AI1979	231205003 02	जनपद पंचायत तेंदूखेड़ा जिला दमोह जा.क्र.3567दि. 21.12.11	जनपद पंचायत पाटन जिला जबलपुर जा.क्र.1599दि. 24.12.11 शा.ई.जी.एस.प्रा.शा. सोनतलाई	233905221 01
9	श्री सुनीता ठाकुर सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. सैडारा जिला छतरपुर	AF6027	230902007 02	जनपद पंचायत बकस्वाहा जिला छतरपुर जा.क्र.2846दि. 16.11.11	जनपद पंचायत बटियागढ़ जिला दमोह जा.क्र.1869दि. 07.12.11 शा.प्रा.शा. घूघस	231207090 01
10	श्री श्रीकांत त्रिपाठी (निःशक्त) वरि. अध्यापक (अंग्रेजी) शा.उ.मा.वि. पपडेल जिला राजगढ़	AV1016	233005777 05	जिला पंचायत राजगढ़ जिला राजगढ़ जा.क्र.1839दि. 13.06.11	जिला पंचायत दतिया जिला दतिया जा.क्र.4085दि. 07.06.11 शा.उ.मा.वि. बीकर	230501777 06

संविलियन की शर्तें :-

1. यह अनुमति तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जायेगा।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यरत निकाय से कार्यमुक्त हो सकेंगे।
4. तालिका के कालम-6 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-5 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। पदांकन आदेश जारी नहीं होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से पुष्टि उपरांत ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-6 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी।
7. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा।



8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने एवं संविदा शाला शिक्षक की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन मान्य किया जावे।
 9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
 10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्ति संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2001 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्यापीन की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी।
 11. तालिका के कालम-5 एवं 6 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनुपत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि, सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा।
- “ आयुक्त द्वारा अनुमोदित ”

Ar
सहायक संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 12-6-12

पृष्ठा. क्र./श.क./संवि./बी/11/2012/360
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मा. मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. संबंधित कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित आयुक्त, नगर निगम मध्यप्रदेश।
6. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
7. संबंधित जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जनपद से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
8. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
10. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. संबंधित की ओर सूचनार्थ।

Ar
सहायक संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

